संख्या : 2065 जेड/6-सा-1-2001-21 जी/99

प्रेषक,

श्री ललित कान्त,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2001

विषय :- ऐसे व्यक्तियों जिनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में हुआ हो और जिनके माता/पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किये जाने/उनके परिवार के पात्र आश्रितों को पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली के नियम-2 (क) टिप्पणी (1) के बाद (ठ) के रूप में प्रावधान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कारावास का दण्ड या अन्य यातनायें सहीं हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई नियमावली "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम पेंशन सम्बन्धी नियम" जो, 6 अगस्त, 1975 से लागू की गई है, के नियम-2 (क) की टिप्पणी (1) (ट) के नीचे निम्न अंश (ठ) के रूप में जोड़ दिया जायें, जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा :-

(ठ) उ0प्र0 के ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में हुआ हो और जिनके माता/पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों" ।

2- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,

(ललित कान्त)
सचिव ।

---2/---

पृ0संख्या : 2065 ( ) जेड/6-सा- 1- 2001-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-12

3- निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, 38-दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ ।

4- मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, 38-दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ ।

5- गृह (सामान्य) अनुभाग-2/3, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ ।

6- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/14/2001, दिनांक 29 मई, 2001 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(श्रीराम जयन्त)
अनु सचिव ।